संख्या-167/2018/26/22-2-2018-17(16)/2002

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमीन उर्फ चीना पुत्र श्री अब्दुल बारी, निवासी जनपद-इलाहाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3(एम-21.12.2017) दिनांक 29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमीन उर्फ चीना पुत्र श्री अब्दुल वारी, जो कोट कस्बा, थाना-मऊआइमा, जनपद-इलाहाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने जमीनी जायदाद के बटवारे को लेकर विवाद में दिनांक 11-10-1978 को समय लगभग-09:00 बजे रात्रि में अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पिस्तौल, चाकू से वारकर बचऊ नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-87/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.04.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.1998 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2017 तक 19 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने के कारण सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमीन उर्फ चीना (बन्दी संख्या-6707/1998) पुत्र श्री अब्दुल वारी, निवासी जनपद-इलाहाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-167/2018/26(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया- 167/2018/26@22-2-2018-17(16)/2002

दिनांक 16 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमीन उर्फ चीना पुत्र श्री अब्दुल वारी, जो कोट कस्बा, थाना-मऊआइमा, जनपद-इलाहाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने जमीनी जायदाद के बटवारे को लेकर विवाद में दिनांक 11-10-1978 को समय लगभग-09:00 बजे रात्रि में अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पिस्तौल, चाकू से वारकर बचऊ नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-87/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.04.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.1998 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2017 तक 19 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने के कारण सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।